



## कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन  
डाण्डा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून -248001



### Uttarakhand State Control Room COVID -19

पत्रांक- UKHFW/COVID-19/2019-20/ 485

दिनांक : 02 जून, 2020

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय:- कोविड-19 नियंत्रण व रोकथाम हेतु ICMR Guidelines के अनुसार सैम्पल लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासन के पूर्व पत्र सं० 107/नि०स०-सचिव-स्वा०/2020 दिनांक 14 मई, 2020 का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराया जाना है कि ICMR द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग हेतु सैम्पल लिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिनको उपरोक्त पत्र के माध्यम से समस्त जनपदों को प्रेषित किया गया था। संज्ञान में आया है कि जनपदों द्वारा ICMR के दिशा-निर्देशों के विपरीत कोविड-19 टेस्टिंग हेतु अन्यत्र सैम्पल भी लिये जा रहे हैं।

अतः उक्त सम्बन्ध में अनुरोध किया जाना है कि कोविड-19 टेस्टिंग हेतु ICMR द्वारा दिनांक 18 मई, 2020 (Strategy for COVID-19 testing in India, Version 5 dated 18/05/2020) को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कोविड-19 टेस्टिंग हेतु सैम्पल लिये जाने का कष्ट करें। ICMR द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य सैम्पल न लिये जायें।

संलग्न - उपरोक्त पत्र

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त) भ०प्रा०से०  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, Uttarakhand State Control Room COVID -19।

(युगल किशोर पन्त) भ०प्रा०से०  
मिशन निदेशक



## Strategy for COVID-19 testing in India (Version 5, dated 18/05/2020)

1. All symptomatic (ILI symptoms) individuals with history of international travel in the last 14 days.
2. All symptomatic (ILI symptoms) contacts of laboratory confirmed cases.
3. All symptomatic (ILI symptoms) health care workers / **frontline workers involved in containment and mitigation of COVID19.**
4. All patients of Severe Acute Respiratory Infection (SARI).
5. Asymptomatic direct and high-risk contacts of a confirmed case to be tested once **between day 5 and day 10 of coming into contact.**
6. All symptomatic ILI within hotspots/containment zones.
7. **All hospitalised patients who develop ILI symptoms.**
8. **All symptomatic ILI among returnees and migrants within 7 days of illness.**
9. **No emergency procedure (including deliveries) should be delayed for lack of test. However, sample can be sent for testing if indicated as above (1-8), simultaneously.**

### **NB:**

- *ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  AND cough.*
- *SARI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  AND cough AND requiring hospitalization.*
- *All testing in the above categories is recommended by real time RT-PCR test only.*
- **All changes incorporated in these guidelines as compared to the previous version have been indicated in bold.**